पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 359/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 11.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना-फूलपुरः साइबर फ्राड के 7000 रूपया वापस कराया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.10.2024 को आवेदक प्रिन्स यादव पुत्र कोमल यादव सा0 हथनौरा कला थाना फूलपुर आजमगढ़ के पास कुछ रूपया भेजकर अधिक रूपया पाने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके 7000/- रूपये का साइबर फ्राड कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में साइबर हेल्पलाइन नं0 1930/https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका Ack No. 2311024xxxxxxxx है । उपरोक्त 7000 रू0 साइबर पुलिस टीम फूलपुर द्वारा धोखाधड़ी करने वाले के भिन्न भिन्न खाते में रूपया फ्रीज करा दिया गया । विधिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 10.12.2024 को आवेदक का फ्राड हुआ 7000 रूपये वापस करा दिया गया है ।

रूपया वापसी का विवरणः-

आवेदक प्रिन्स यादव पुत्र कोमल यादव सा0 हथनौरा कला थाना फूलपुर आजमगढ़ के फ्राड हुए रूपये कुल 7000/- रू0 के सम्बन्ध मे आरक्षी दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करने के उपरान्त मा0 न्यायालय से रूपया रिलीज हेतु कोर्ट आर्डर बनवाया गया एवं रूपया रिलीज करने हेतु कोर्ट ऑर्डर को सम्बन्धित बैंक के नोडल अधिकारी/शाखा को जरिये इमेल सम्पर्क कर आदेश की प्रति भेजा गया । व आवेदक प्रिन्स यादव पुत्र कोमल यादव सा0 हथनौरा कला थाना फूलपुर आजमगढ़ के यूनियन बैंक के खाता मे दिनांक 10.12.2024 को कुल 7000/- रूपया (REFUND) अवमुक्त किया कराया गया । आवेदक अपना फ्रॉड हुआ रूपया पाकर अत्यन्त प्रसन्न है और पुलिस का आभार प्रकट कर रहा है ।

बरामदगी करने वाली साइबर टीम का विवरणः-

1. रि030नि0 अनुराग पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. आरक्षी दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।

02.थाना जहानागंज: आत्महत्या के लिए उकसाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 08.12.2024 को थाना जहानागंज के वादिनी नें थाना उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया कि अभि0 अभिषेक चौहान पुत्र सत्य बहादुर चौहान निवासी सीही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा जेल से छूटकर आने के बाद वादिनी मुकदमा की पुत्री को प्रताड़ित करना तथा सुलह करने की धमकी देना तथा कुछ दिन पहले अभिषेक चौहान अपने साथ अवधेश चौहान पुत्र राजाराम व अपने घर वालो के साथ वादिनी मुकदमा के घर आकर गाली गलौज व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए यह धमकी दी गयी कि गाँव मे रहना है तो सुलह कर लो नही तो बहुत बुरा होगा । तथा दिनांक 6.12.24 को सांय लगभग 5.30 बजे मे बाहर से आयी तो वादिनी की पुत्री के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-609/2024 धारा 108, 352, 351(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)(v) एससी/ एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 11.12.24 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र सत्य बहादुर चौहान निवासी सीही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को महुआ मोड़ से सीही जाने वाले रास्ते से समय करीब 06.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना- जीयनपुर: मोबाइल चोरी करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 29.09.2024 को आवेदक चन्दन सरोज पुत्र बृजभान राम ग्राम हरैया पोस्ट हरैया जनपद आजमगढ़ द्वारा ई-एफआईआर दर्ज किया गया कि दिनाक 11/9/2024 को मूर्ति विसर्जन करके दोहरीघाट से वापस आ रहा था रास्ते में वादी मुकदमा को नींद आ गई जब नींद खुली तो मै आपनी मोबाईल अपने पास देखा तो नहीं थी और मोबाईल के कवर में तीन हजार रुपये भी थे बहुत खोजने का भी प्रयास किया लेकिन नहीं मिली जिसका मोडल नंबर Realme C25Y था और IMEI 867777054xxxxxxx व IMEI2 86777705xxxxxx MODEL नंबर RBS1C25Yxxx मोबाईल नंबर यह था – 91196xxxxx जो की मेरे नाम से था तो मै दूसरी सिम निकलवा लिया हू के सम्बन्ध मे थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मु0अ0स0 440/2024 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात ई-एफआईआर पंजीकृत हुआ ।जिसकी विवेचना उ0नि0विजय सिंह गौड़ द्वारा सम्पादित की जा रही है ।विवेचना के क्रम मे -

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 11.12.2024 को उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा सीईआईआर पोर्टल व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक बाल अपचारी उम्र 16 वर्ष को चोरी एक मोबाइल के साथ मनिकाडीह प्राइमरी विद्यालय के पास से समय 12.00 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।